स्नातक (लोक प्रशासन)

(बी०ए०पंचम सेमेस्टर)

लघु शोध प्रबंध कार्य

(Dissertation)

लोक प्रशासन विभाग

शोध प्रबंध(Dissertation) कार्य प्रस्ताव एवं लघु शोध प्रबंध कार्य हेतु दिशानिर्देश

(Guidelines for Synopsis and Dissertation)

<u>शिक्षार्थियों हेतु सामान्य दिशा-निर्देश (General Guidelines for Learners)</u>

- बी.ए. पंचम सेमेस्टर में अध्ययनरत शिक्षार्थी जो लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत अपना लघु शोध प्रबंध प्रस्ताव एवं लघु शोध प्रबन्ध(Dissertation) कार्य करना चाहते हैं उनको अपने अध्ययन केन्द्र के संबंधित विषय विशेषज्ञ या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियुक्त लोक प्रशासन के प्राध्यापक से मार्ग-दर्शन प्राप्त करना अनिवार्य है।
- सबसे पहले शिक्षार्थियों को अपना शोध प्रस्ताव तैयार कर विभाग द्वारा निर्धारित ई-मेल आईडी dopa@uou.ac.in पर अंतिम तिथि से पूर्व भेजना होगा।
- विभाग, शोध प्रस्तावों की समीक्षा करने के पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शिक्षार्थियों के लघु शोध प्रबन्ध की स्वीकृति और अस्वीकृति से संबंधित सूची प्रकाशित कर दी ।
- यदि किसी शिक्षार्थी का शोध प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है, तो उसे एक सप्ताह भीतर उसमें सुधार करके पुनः केवल सॉफ़्ट कॉपी के रूप में भेजना होगा।
- बिना स्वीकृति प्राप्त किए गए शोध प्रस्ताव पर आधारित कोई भी लघु शोध प्रबन्ध स्वीकार्य नहीं होगा।
- शोध प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद ही शिक्षार्थी लघु शोध प्रबन्ध कार्य प्रारंभ कर सकता है।
- शोध प्रस्ताव पर संबंधित पर्यवेक्षक की संस्तुति आवश्यक है।
- प्रस्ताव के साथ पर्यवेक्षक का संक्षिप्त परिचय (बायोडाटा) संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- शिक्षार्थी से अपेक्षा है कि वह लघु शोध प्रबन्ध कार्य स्वयं करेगा एवं किसी भी प्रकार की नकल से बचेगा। अन्य के कार्य को प्रस्तुत करना अमान्य माना जाएगा।
- यदि दो विद्यार्थियों के शोध विषय अथवा सामग्री में अत्यधिक समानता पाई जाती है, तो दोनों लघु शोध प्रबन्ध अमान्य किए जा सकते हैं।
- अध्ययन केन्द्र द्वारा मार्गदर्शन हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- शोध प्रस्ताव एवं लघु शोध प्रबन्ध की तीन प्रतियाँ तैयार करें – एक विश्वविद्यालय हेतु, एक अध्ययन केंद्र एवं एक स्वयं के लिए।
- लघु शोध प्रबन्ध हिंदी या अंग्रेजी में A4 आकार के कागज पर, डबल स्पेस के साथ, फॉन्ट साइज 14 में टाइप किया जाना चाहिए।

- टाइपिंग पूर्ण होने के बाद त्रुटियों की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा आवश्यक सुधार करें। सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अवश्य अंकित करें।
- लघु शोध प्रबन्ध की बांइडिंग हार्ड कवर के साथ किया जाना चाहिए।
- लघु शोध प्रबन्ध के पहले पृष्ठ पर शिक्षार्थी का नाम, नामांकन संख्या, अध्ययन केंद्र के नाम और पर्यवेक्षक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
- लघु शोध प्रबंध के साथ निर्धारित तीन प्रारूपों को भरकर लघु शोध प्रबन्ध के पीछे संलग्न करना आवश्यक है।
- लघु शोध प्रबन्ध को प्राथमिक स्रोतों (सर्वेक्षण, साक्षात्कार, केस स्टडी) एवं द्वितीयक स्रोतों (पुस्तकें, शोध पत्र, लेख) के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

<u>आवश्यक तिथियाँ (Important Dates)</u>

1. लोक प्रशासन विषय से संबंधित शोध प्रस्ताव और लघु शोध प्रबन्ध की सभी प्रमुख तिथियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएँगी। शिक्षार्थी को समय-समय पर वेबसाइट अवलोकन करने का सुझाव दिया जाता है।
2. शोध प्रस्ताव को विभाग द्वारा निर्धारित ई-मेल आईडी (dopa@uou.ac.in) पर अंतिम तिथि से पूर्व भेजना अनिवार्य है।
3. जो शोध प्रस्ताव या लघु शोध प्रबन्ध निर्धारित तिथि के बाद भेजे जाएँगे, वे मौजूदा सत्र में स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
4. विलंब से प्रस्तुत शोध कार्य केवल अगले सत्र में, बैक परीक्षा के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की नियत प्रक्रिया का पालन आवश्यक होगा।

लोक प्रशासन विभाग

<u>शिक्षार्थियों हेतु विशेष दिशा-निर्देश</u>

<u>(Special Guidelines for Learners)</u>

<u>प्रस्तावना (Introduction)</u>

लोक प्रशासन विषय का अध्ययन केवल सैद्धांतिक जानकारी तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह विषय व्यवहारिक अनुभव और शासन की कार्यप्रणालियों की गहराई से समझ की माँग करता है। इस विषय में लघु शोध प्रबंध (Dissertation) का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रशासनिक तंत्र, नीतियों के निर्धारण और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्रदान करना है। लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) कार्य शिक्षार्थियों को इस बात की प्रेरणा देता है कि वे अपने आसपास के ढांचे- जैसे ग्राम पंचायतें, नगर निकाय, विकास खंड, जिला प्रशासन, और सार्वजनिक सेवाओं का विश्लेषण करें और देखें कि सरकारी योजनाएं और नीतियाँ धरातल पर कितनी कारगर हैं।

इस प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को स्थानीय समस्याओं की पहचान, नीति विश्लेषण, योजना मूल्यांकन, नागरिक भागीदारी, सेवा वितरण, और प्रशासनिक सुधार जैसे विषयों पर शोध करने का अवसर मिलता है। यह लघु शोध प्रबंध (Dissertation) शिक्षार्थियों की आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण क्षमता और समाधानपरक दृष्टिकोण को विकसित करता है। शोध की यह प्रक्रिया न केवल अकादमिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह शिक्षार्थियों को प्रशासन की व्यवहारिक जटिलताओं से अवगत कराते हुए उन्हें एक उत्तरदायी नागरिक और भविष्य के नीति-निर्माता के रूप में तैयार करने का एक प्रयास है। शोध कार्य आरंभ करने से पूर्व शिक्षार्थियों को एक उपयुक्त विषय का चयन कर उसका शोध प्रस्ताव (Dissertation Proposal) तैयार करना आवश्यक होता है। यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही मुख्य लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। लघु शोध प्रबंध में मार्गदर्शन के लिए शिक्षार्थियों को अपने अध्ययन केन्द्र के शैक्षिक परामर्शदाता (Academic Counsellor) से संपर्क करना चाहिए। वे आवश्यकतानुसार विद्यार्थी का संपर्क किसी योग्य पर्यवेक्षक (Supervisor) अथवा फैसिलिटेटर (Facilitator) से कराएँगे, जो लघु शोध प्रबंध की दिशा निर्धारण में शिक्षार्थी की मदद करेंगे। फैसिलिटेटर शोध के दौरान सुझाव, सुधार और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं, इसलिए शोध कार्य की सफलता के लिए उनके मार्गदर्शन को महत्व देना आवश्यक है। इस प्रकार लघु शोध प्रबंध न केवल एक शैक्षणिक आवश्यकता है, बल्कि यह शिक्षार्थी के व्यावसायिक विकास और प्रशासनिक समझ के विस्तार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है।

प्रयोजन (Purpose)

लोक प्रशासन विषय में शोध प्रबन्ध को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का मुख्य प्रयोजन यह है कि विद्यार्थियों को प्रशासनिक व्यवस्था, नीति-निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसेवा की प्रक्रिया को गहराई से समझने का अवसर मिल सके। लघु शोध प्रबंध(Dissertation)शिक्षार्थी को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ने का एक माध्यम है, जिससे वे न केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रहेगा, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की वास्तविक स्थितियों, चुनौतियों और समाधान प्रक्रियाओं से भी परिचित हो सकेगा।लघु शोध प्रबन्ध शिक्षार्थी को यह स्वतंत्रता देता है कि वे अपने रुचिकर विषय का चयन करें- जैसे स्थानीय शासन, जिला प्रशासन, नीति क्रियान्वयन, सूचना का अधिकार, डिजिटल प्रशासन आदि। ताकि वे उस क्षेत्र में गहराई से अध्ययन कर सकें जिसमें वे भविष्य में योगदान देना चाहते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल उनकी शोध दक्षता का विकास होता है, बल्कि उनमें निर्णय-निर्माण, विश्लेषण, प्रस्तुतीकरण और नीति सुझाव की क्षमता भी बढ़ती है।

लघु शोध प्रबंध (डिजर्टेशन) कार्य से आशय

डिज़र्टेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम किसी विषय पर क्रमबद्ध, विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसा अकादमिक अभ्यास है जिसमें शिक्षार्थी किसी विषय की नवीन जानकारी प्राप्त करता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत लघु शोध प्रबंध (Dissertation) कार्य करने वाले शिक्षार्थी का न केवल सैद्धांतिक ज्ञान का विस्तार होगा, बल्कि छात्रों को जमीनी स्तर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने और उसका मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। लघु शोध प्रबंध(Dissertation) के आशय को हम विस्तृत रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं।

1. **सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ना**

   विश्वविद्यालय की स्वयं अध्ययन सामग्री(SLM) में दी गई अवधारणाओं को व्यवहारिक रुप में समझ सकते हैं। जैसे फेयोल टेलर और गुलिक जैसे चिंतकों के प्रशासनिक सिद्धातों का अध्ययन प्रशासनिक संरचना एवं कार्य प्रणाली में व्यावहारिक रूप में कर सकते हैं।

2. **विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन करना**

   लघु शोध प्रबंध(Dissertation) कार्य के माध्यम शिक्षार्थी को सरकारी नीतिओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। इसके माध्यम से यह समझ विकसित होती है कौन से कार्य नीतियों के सफल क्रियान्वयन में कारगर है और कौन से नहीं। इसके माध्यम से शिक्षार्थी समस्याओं के कारगर समाधान विकसित कर सकता है।

3. **विषय के संबंध में गहरी समझ विकसित करना**

   ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों, जिला प्रशासन एवं सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण के माध्यम से प्रशासनिक कार्यप्रणाली के संबंध गहरी समझ विकसित करना है।

4. समस्या का प्रशासनिक मूल्यांकन करना

लोक प्रशासन में लघु शोध प्रबंध (डिजर्टेशन)कार्य शिक्षार्थियों को यह सिखाता है कि प्रशासनिक ढांचे एवं प्रशासनिक कार्यों में कहाँ-कहाँ समस्याएँ आती हैं और कैसे इस समस्या को हल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शिक्षार्थी यह अध्ययन कर सकता है कि जिला पंचायत की योजनाओं के क्रियान्वयन में ऐसी क्या कमी है की इसका लाभ ग्रामीण जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है।

5. अनुसंधान कौशल विकसित करना

लघु शोध प्रबंध(Dissertation) कार्य के माध्यम से शिक्षार्थी के अंदर अनुसंधान कौशल का विकास होता है जो की इस प्रकार है-

- डेटा संग्रह की विधियाँ (साक्षात्कार, प्रश्नावली, दस्तावेज विश्लेषण) का ज्ञान होता है।
- तथ्यों की व्याख्या, तुलना और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास होता है।
- रिपोर्ट लेखन, प्रस्तुतीकरण और निष्पक्ष विश्लेषण की समझ विकसित होती है।

6. संचार कौशल विकसित करना

लघु शोध प्रबंध(Dissertation) कार्य द्वारा शिक्षार्थियों के अन्दर संचार कौशल विकसित करना है जो इस प्रकार है -

- रिपोर्ट लेखन, संदर्भ लेखन, ग्रन्थसूची लेखन एवं तथ्यों के उचित विश्लेषण-प्रस्तुतिकरण के द्वारा शिक्षार्थी के अंदर लेखन संचार कौशल विकसित करना है।
- मौखिक परीक्षा और प्रस्तुतिकरण के द्वारा शिक्षार्थियों के अंदर संप्रेषण कौशल विकसित करना है।
- पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए सुझावों एवं आलोचनाओं को सुनना एवं उसमें सुधार करने से शिक्षार्थी के अंदर श्रवण कौशल होता है।
- विषय विशेषज्ञ और उत्तरदाताओं से संवाद स्थापित करने से शिक्षार्थियों के अंदर अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल विकसित होता है।

7. नवाचार को प्रोत्साहित करना

जब कोई शिक्षार्थी किसी प्रशासनिक विषय पर गहन अध्ययन करता है तो उसे कुछ ऐसी प्रशासनिक समस्या का समाधान मिलता है जो पहले से मौजूद नहीं है। ये समाधान हो सकता है कि डिजिटलीकरण और ऑनलाइन निगरानी से संबंधित हो सकता है जिससे पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नागरिक सहभागिता बढ़ सकती है।

लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) के उद्देश्य

लोक प्रशासन विषय में लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) का उद्देश्य शिक्षार्थियों को अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया से परिचित कराना और उन्हें प्रशासनिक मुद्दों पर व्यवस्थित रूप से सोचने, विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाना है। इस लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation)के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं-

1. प्रशासन से जुड़े किसी विशेष मुद्दे या विषय को स्पष्ट रूप से पहचानना और उसे शोध योग्य प्रश्न में परिवर्तित करना।
2. संबंधित पुस्तकों, शोध लेखों, सरकारी दस्तावेजों और रिपोर्टों का अध्ययन कर शोध विषय की पृष्ठभूमि को समझना।
3. संभावित उत्तरों या अनुमानों को स्पष्ट करना, जिन्हें शोध के दौरान सत्यापित या अस्वीकार किया जा सके।
4. शोध का ढाँचा तय करना जिसमें विधियाँ, उपकरण, समय-सीमा और अनुसंधान प्रक्रिया की योजना शामिल हो।
5. यह तय करना कि किन व्यक्तियों, क्षेत्रों या इकाइयों से जानकारी ली जाएगी ताकि शोध वैज्ञानिक और संतुलित हो।
6. विभिन्न तरीकों जैसे- साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, फील्ड ऑब्जर्वेशन आदि द्वारा सूचना एकत्र करना।
7. योजना अनुसार चरणबद्ध ढंग से शोध प्रक्रिया को लागू करना और समय पर कार्य पूर्ण करना।
8. संकलित आंकड़ों की व्याख्या करना, ग्राफ, तालिका या आँकड़ों के माध्यम से निष्कर्ष निकालना।
9. यह जाँचना कि शुरू में बनाई गई परिकल्पनाएँ सही थीं या नहीं, आँकड़ों के आधार पर निर्णय लेना।
10. निष्कर्षों को व्यापक संदर्भ में समझना और यह स्पष्ट करना कि उनसे कौन से सिद्धांत या सुझाव निकलते हैं।
11. लघु शोध प्रबंध(Dissertation) को व्यवस्थित रूप से लिखना और अंतिम परिणामों को सरल व प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना।

विषय/शीर्षक का चयन एवं फैसिलिटेटर की सहमति प्राप्त करना

विषय चयन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. यह सुनिश्चित करें कि आप जिस विषय का चयन कर रहे हैं वह लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है।
2. आपके विषय का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे एवं कार्य का विश्लेषण करना, नीति क्रियान्वयन की जांच करना, प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा एवं नीति निर्धारण को समझना होना चाहिए।

लोक प्रशासन विभाग

3. विषय ऐसा हो जो शिक्षार्थी की शैक्षणिक रुचि से जुड़ा हो और जिसमें वह गहराई से अध्ययन कर सके। यदि शोधकर्ता किसी प्रशासनिक क्षेत्र (जैसे- नीति निर्माण, स्थानीय शासन, जिला प्रशासन) में रुचि रखता है, तो उसे उसी दिशा में विषय चुनना चाहिए।
4. शोध प्रश्न तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वह सामान्य से विशेष की ओर होती है। आपका विषय सामान्य होता है और आपका प्रश्न विशेष होता है। उदाहरण के लिए-

   विषय- नागरिक चार्टर की प्रभावशीलता: सेवा वितरण की गुणवत्ता में परिवर्तन का मूल्यांकन

   शोध प्रश्न

   क्या नागरिकों को नागरिक चार्टर के प्रावधानों की समुचित जानकारी है?

   क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा नागरिक चार्टर के मानकों का अनुपालन किया जा रहा है?
5. चयनित विषय ऐसा हो चाहिए जिस पर प्राथमिक (सर्वेक्षण, साक्षात्कार, केस स्टडी,) और द्वितीयक (शैक्षणिक पुस्तकें, शोध लेख, सरकारी रिपोर्टें, दस्तावेज़) स्रोत आसानी से मिल जाए।
6. विषय ऐसा नहीं होना चाहिए जो विश्वविालय द्वारा निर्धारित समय पर पूर्ण न हो पाए। शिक्षार्थी को यह आकलन करना चाहिए कि वह निर्धारित समय पर लघु शोध प्रबन्ध पूर्ण कर लेगा।
7. यदि शिक्षार्थी का शोध प्रबन्ध फील्ड वर्क पर आधारित है, तो स्थान का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए जिससे यात्रा खर्च, समय और डेटा संग्रहण की प्रक्रिया सुगम हो सके। उदाहरणतः ब्लॉक स्तर, जिला पंचायत कार्यालय, नगर पालिका, आदि।

<u>थीम के आधार पर विषय के उदाहरण</u>

नीचे थीम के आधार पर कुछ विषय के उदाहरण दिए गए हैं जिनके आधार पर आप अपने विषय का निर्धारण कर सकतेहैं।

<u>स्थानीय शासन और प्रशासन</u>

1. मनरेगा (MGNREGA) योजना का ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
2. ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व और उसका प्रशासनिक प्रभाव
3. नगर पालिका में बजट निर्माण की प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता का अध्ययन
4. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागरिक व्यवहार में आए परिवर्तनों का मूल्यांकन
5. पंचायत स्तर पर जन शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता

<u>जिला प्रशासन</u>

1. जिला प्रशासन की संरचना और कार्यप्रणाली: एक समकालीन विश्लेषण
2. आपदा प्रबंधन में जिला प्रशासन की भूमिका: उत्तराखंड के परिपेक्ष में

3. जिला स्तर पर ई-गवर्नेंस की प्रगति और चुनौतियाँ: एक केस स्टडी
4. शहरी और ग्रामीण विकास में जिला कलेक्टर की भूमिका: एक तुलनात्मक अध्ययन

नीति क्रियान्वयन

1. केंद्र सरकार की योजनाओं के ज़मीनी क्रियान्वयन में आ रही प्रशासनिक बाधाएँ
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिला स्तरीय कार्यान्वयन – एक केस स्टडी
4. आंगनवाड़ी सेवाओं में समस्याएँ और उनके समाधान की प्रशासनिक संभावनाएँ

प्रशासन और नागरिक सहभागिता

1. जनभागीदारी के माध्यम से पंचायत संस्थाओं की सशक्तता का अध्ययन
2. सामाजिक लेखा परीक्षा (Social Audit) की प्रक्रिया और उसका प्रभाव – जिला स्तर पर एक अध्ययन
3. डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की भागीदारी
4. नागरिक चार्टर (Citizen Charter) की क्रियान्वयन प्रक्रिया- ब्लॉक कार्यालय के परिप्रेक्ष्य में
5. लोक सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिक संतुष्टि – RTPS सेवा केंद्रों के संदर्भ में

नागरिक सेवाएँ और लोक सेवक

1. जिला प्रशासन में ई-गवर्नेंस की भूमिका और प्रमुख चुनौतियाँ
2. सूचना का अधिकार (RTI) का प्रशासनिक उपयोग और दुरुपयोग
3. कोविड-19 महामारी के समय प्रशासनिक व्यवस्था और नवाचारों की भूमिका

फैसिलिटेटर (लघु शोध प्रबन्ध मार्गदर्शक) की सहमति

जब कोई शिक्षार्थी लघु शोध प्रबंध(Dissertation) पर काम शुरू करता है, तो उसे सबसे पहले अपने फैसिलिटेटर यानी जिस शिक्षक की देखरेख में वह लघु शोध प्रबन्ध कार्य करेगा, उससे बात करनी चाहिए। उससे अपने विचार साझा करने चाहिए और पूछना चाहिए कि जो विषय उसने चुना है, वह ठीक है या नहीं। यदि फैसिलिटेटर को लगे कि कुछ सुधार की जरूरत है, तो उसी वक्त सुधार कर लेना चाहिए। जब फैसिलिटेटर विषय को मंजूरी दे दे, तभी उसे फाइनल मानकर आगे की योजना बनानी चाहिए। इससे लघु शोध प्रबंध(Dissertation) लेखन की आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है।

लघु शोध प्रबंध (Dissertation) प्रस्ताव

लघु शोध प्रबंध (Dissertation)कार्य की शुरुआत एक सुविचारित और सुव्यवस्थित प्रस्ताव से होती है। एक प्रभावशाली प्रस्ताव लगभग 8–10 पृष्ठों का होना चाहिए, जिसमें शोध की रूपरेखा, समस्या की प्रकृति, उद्देश्य, अनुसंधान की विधियाँ, अध्याय विभाजन और तथ्य संग्रह की तकनीकों को शामिल किया जाता है।

लघु शोध प्रबंध (Dissertation) प्रस्ताव का प्रारूप (Proposal Format)

1. **विषय/शीर्षक का चयन (Selection of Topic)**

   शोध विषय/शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो न केवल आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हो बल्कि आपकी रुचि और प्रशासनिक आवश्यकता से भी मेल खाता हो।

   उदाहरण के लिए, शोध विषय/शीर्षक 'नगर निगमों के वैकल्पिक वित्तीय संसाधनों की संभावनाएँ: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'

2. **प्रस्तावना**

   शिक्षार्थी इस भाग के अंतर्गत विषय के पृष्ठभूमि के संबंध में चर्चा करते हुए, विषय की उपयोगिता, उद्देश्य और परिकल्पना के संबंध में चर्चा करेंगे। जो इस प्रकार है-

   a. उपयोगिता- शोध प्रारंभ होने से पहले इस बात का ज्ञान होना अत्यंतआवश्यक है कि आपके द्वारा चुना गया विषय की प्रशासन के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है और वर्तमान समय में ये विषय कितना प्रासंगिक है।

   b. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)- इस भाग में शिक्षार्थी द्वारा को यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उसने ये विषय क्यों चुना है और किन प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति इस अध्ययन द्वारा की जाएगी।

c. परिकल्पना का निर्माण (Formation of Hypothesis)- शोध प्रश्न के आधार पर एक अनुमान अथवा उत्तर तैयार करें, जिसे आप अध्ययन के माध्यम से सत्यापित या खंडित करेंगे।

उदाहरण: सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया से स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही (Accountability) में सुधार होता है।

3. **साहित्य समीक्षा (Literature Review)**

   इस भाग में शिक्षार्थी को चुने गए विषय पर पहले से हुए अध्ययन,उपलब्ध पुस्तकों,लेखों, रिपोर्टों एवं सरकारी दस्तावेज काउल्लेख करना है।

लोक प्रशासन विभाग

4. शोध प्रविधि (Methodology for Study)

इस भाग में यह बताया जाता है कि अध्ययन किस प्रकार का होगा। शिक्षार्थी द्वारा आंकड़ा एकत्रण के लिए दो विधियों का उपयोग किया जाता है।

- प्राथमिक विधियाँ- सर्वेक्षण, साक्षात्कार, केस स्टडी
- द्वितीयक विधियाँ- सरकारी रिपोर्टें, दस्तावेज़, शोध पत्र आदि
- नमूना (sampling) किस प्रकार की होगा, उसका भी उल्लेख किया जाता है।

5. अध्यायीकरण की रूपरेखा (Chapterization Plan)

इस भाग में यह बताया जाता है कि आप अपने शोध प्रबंध(Dissertation) कार्य को कितने अध्यायों में विभाजित करेंगे।

लोक प्रशासन विभाग

लघु शोध प्रबन्ध हेतु प्रारूप (Outline of Dissertation)

1. प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तावना में लघु शोध प्रबंध(Dissertation) की पृष्ठभूमि का विवरण प्रस्तुत करते हुए, शोध विषय की वर्तमान समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए प्रारम्भिक अवधारणा व सैद्धांतिक रूपरेखा को स्पष्ट किया जाता है ।इसमें लघु शोध प्रबंध(Dissertation) के प्रयोजन और उद्देश्य को स्पष्ट करने के साथ- साथ अध्ययन के क्षेत्र और सीमाओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाता है। परिकल्पना का भी उल्लेख यही किया जाना चाहिए (यदि आवश्यक हो)।

2. साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

इस भाग में शिक्षार्थी को चुने गए विषय पर पहले से हुए अध्ययन, उपलब्ध पुस्तकों, लेखों, रिपोर्टों एवं सरकारी दस्तावेज का विस्तृत उल्लेख किया जाता है।समीक्षा में यह देखा जाए कि पहले किन-किन बिंदुओं पर कार्य हो चुका है और वर्तमान शोध उनमें क्या नया जोड़ता है।

3. शोध पद्धति (Research Methodology)

इसके अंतर्गत उन विधियों को बताया जाता है जिनके द्वारा लघु शोध प्रबंध(Dissertation)कार्य पूर्ण किया जाता है। जो इस प्रकार है-

- शोध पद्धति में अध्ययन की प्रकृति की चर्चा की जाती है कि अध्ययन गुणात्मक है कि मात्रात्मक या मिश्रित।
- शोध डिजाइन कैसा है, जैसे- वर्णनात्मक, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक सर्वेक्षणात्मक।
- अध्ययन के क्षेत्र और उसके औचित्य की चर्चा की जाती है।
- डेटा संग्रहण की विधियों की चर्चा की जाती है।

    a. प्राथमिक स्रोत: साक्षात्कार, सर्वेक्षण, फोकस समूह चर्चा

    b. द्वितीयक स्रोत: सरकारी दस्तावेज़, वेबसाइट, रिपोर्ट्स, समाचार पत्र आदि

- नमूना विधि(sampling technique) एवं नमूना आकार(sampling size) का उल्लेख किया जाता है।
- फील्ड स्टडी का भी उल्लेख किया जाता है(यदि लागू हो तो) ।

लोक प्रशासन विभाग

4. उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि (Profile of Respondents)

इस भाग में आपके द्वारा लघु शोध प्रबंध (Dissertation) में जिन लोगों से जानकारी प्राप्त की है, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया जाता है। इन तथ्यों के माध्यम से अध्ययन को और ज्यादा प्रमाणिकता प्रदान की जाती है।

5. विश्लेषण (Analysis)

इस भाग में उत्तरदाताओं के सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण- तुलनात्मक, सांख्यिकीय या विषयवस्तु के आधार पर किया जाता है।

6. निष्कर्ष (Conclusion)

इस खंड में शोधकर्ता द्वारा किए गए अध्ययन का संपूर्ण सार प्रस्तुत किया जाता है। अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। संभावित प्रशासनिक सुधारों के सुझाव दिया जाता है(यदि संभव हो तो)। इन निष्कर्षों का तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हुए यदि संभव हो तो सैद्धांतिक विवेचना भी की जाती है। भविष्य में लघु शोध प्रबंध(Dissertation) के किन-किन पहलुओं पर कार्य किया जा सकता है, इसका उल्लेख किया जाता है।

7. संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography/References)

उपयोग में लाए गए सभी स्रोतों की सूची (पुस्तकें, शोध-पत्र, रिपोर्ट, वेबसाइट आदि) का उल्लेख समान उद्धरण शैली (APA/MLA/Chicago) में क्रमिक रूप में किया जाताहै।

लघु शोध प्रबन्ध के चरण(Steps of dissertation)

1. विषय का चयन (Selection of Topic)

- **रुचि आधारित विषय का चयन-** ऐसा विषय चुनें जिसमें आपकी शैक्षणिक रुचि हो। रुचिकर विषय होने पर पूरे लघु शोध प्रबंध(Dissertation) लेखन के दौरान आप प्रेरित रहते हैं।
- **समय व संसाधन-** विषय ऐसा होना चाहिए जिसे सीमित समय अर्थात विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके। शिक्षार्थी को यह देखना होगा कि उपलब्ध संसाधनों में अध्ययन किया जा सके।
- **स्रोतों की उपलब्धता-** विषय पर पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत उपलब्ध होने चाहिए।

- **शोध प्रश्न-** लघु शोध प्रबंध (Dissertation) के लिए एक स्पष्ट मूल प्रश्न का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिसका हल आपके लघु शोध प्रबंध(Dissertation) द्वारा किया जाएगा।

<u>2. साहित्य समीक्षा (Review of Literature)</u>

आपके विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, रिपोर्टों और अन्य प्रामाणिक अध्ययन सामग्री का अध्ययन कीजिए एवं अपने विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसके माध्यम से शिक्षार्थी से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने लघु शोध प्रबंध (Dissertation) को विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं प्रासंगिक बनाएगा।

<u>3. परिकल्पना निर्माण (Hypothesis Formation – यदि आवश्यक हो)</u>

आप जो प्रशासनिक अध्ययन कर रहे है उसके बारे में एक अस्थायी भविष्यवाणी अथवा उत्तर विकसित करेंगे। यह परिकल्पना परीक्षण योग्य, समर्थित एवं खंडित करने योग्य होनी चाहिए।
उदाहरण:मिड डे मील योजना ने इटावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार लाया है।

<u>4. शोध पद्धति (Research Methodology)</u>

आपके शोध की अध्ययन पद्धति कैसी है, इसका निर्धारण कीजिए। जैसे- गुणात्मक (Qualitative), मात्रात्मक (Quantitative), या मिश्रित (Mixed Methods)। **डेटा संग्रह-** प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों का संग्रह कीजिए। **डेटा विश्लेषण-** एकत्रित डेटा का ग्राफ, चार्ट, तालिकाएँ, विषय वस्तु विश्लेषण, तुलनात्मक मूल्यांकन आदि के माध्यम से विश्लेषण कीजिए।

<u>5. लेखन प्रक्रिया (Writing the Dissertation)</u>

अपने लघु शोध प्रबंध(Dissertation) को परिचय, मुख्य भाग एवं निष्कर्ष के द्वारा व्यवस्थित कीजिए। लेखन के लिए सरल, स्पष्ट एवं तार्किक भाषा का प्रयोग करें एवं उसे साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करें। स्रोतों को श्रेय प्रदान करने के लिए उचित उद्धरण का प्रयोग करें। संपूर्ण लेखन के बाद ध्यानपूर्वक त्रुटियों की जांच कीजिए।

लोक प्रशासन विभाग

लघु शोध प्रबंध के कवर पेज का प्रारूप -

शोध प्रबंध का शीर्षक

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के

बैचलर ऑफ आर्ट्स

उपाधि हेतु

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

शोधार्थी का नाम **निर्देशक/फैसिलिटेटर का नाम एवं पता**

नामांकन संख्या

लोक प्रशासन विभाग

तिथि एवं वर्ष

अध्ययन केंद्र का नाम एवं पता

Performa for Submission of Public Administration Dissertation Proposal for Approval from Facilitator

Enrollment No:………………………………………

Title of the Dissertation:…………………………………

Date of Submission:…………………………………

Name of the Study Center :………………………….

Name of the Regional Center………………………

Name of the Facilitator:…………………………………

Signature

Address of the Facilitator:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Phone No………………………………..

Mail Id: ………………………………….

Name-…………………………………………………………………………..

Address of the Learner…………………………………………………………

………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Phone No:………………………………………………………………………

Mail Id :………………………………..

Approved /not approved (with remarks)

……………………………………………………………………………………..

Date :……………………….

Place:…………………………………

लोक प्रशासन विभाग

Declaration

I hereby declare that the dissertation entitled…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………………….

……………………(Write the title in Block Letters) Submitted for partial fulfilment of the BA- Vth semester to Uttarakhand Open University (UOU) is my original work and has not been submitted earlier to any other institution to fulfil the requirement for any other programme of study. I also declare that no chapter of this manuscript in whole or in part is lifted and

Incorporated in this report from any earlier work done by me or others.

Date :

Place :

Signature:………………………………..

Enrollment no……………………………..

Name :………………………………………

Address:…………………………………..

……………………………………………..

लोक प्रशासन विभाग

Certificate

This is to certify that Mr./Ms.……………………………………………………………………..

a student of BA Vth semester from Uttarakhand Open University(UOU) Haldwani was working under my supervision and guidance for his/her Dissertation for the course BA. His/her Dissertation entitled ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........................

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Which he/she is submitting, is his /her genuine and original work.

Signature:…………………………………………

Name:………………………………………………

Address:…………………………………………….

Phone no.

mail id…………………………….

(To be filled by Facilitator)

Date:

Time:

लोक प्रशासन विभाग